

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं: 05963-220249

वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 2033 / 127

बागेश्वर

दिनांक : 09/02/2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग से दाढ़ू हड़ाप तक मोटर-मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण (प्रस्ताव संख्या 10042/2015)।

सन्दर्भ- ऑन लाइन लगाई गई आपत्ति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि हरिनगरी पयां मोटर मार्ग से दाढ़ू हड़ाप तक मोटर-मार्ग निर्माण प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण इस कार्यालय से कर सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स0 1	Short narrative of the project does not give adequate information about the projects.	Adequate information regarding the project is given in Justification. A copy of revised justification has been uploaded in part I and hard copy is enclosed herewith.
बिन्दु स0 2	Starting and end point of the proposed road is not marked on the SOI topo sheet uploaded in Part I.	Starting point Malla paya and end point village Harap has been mentioned in SOI topo sheet and uploaded in Part I.
बिन्दु स0 3	As per detail provided in hard copy the proposed diversion is an extention of already approved road. Therefore past information in the designated column in part I regarding prior approved case is not found in part.	The proposed motor road is an extention of Harinagri-Paya motor road. Past information regarding prior approval has been uploaded in designated column of Part I. Hard copy is inclosed hererwith for reference.
बिन्दु स0 4	The muck disposal is proposed with in Row therefore GPS co-ordinate may be provided for all points marked for the dumping along the stretch of proposed road in geo-referenced map.	Muck dumping sit selected in khud side of the proposed motor road in each km within 07 m width and co-ordinated of each place has already mentioned in geo-referenced map showing co-ordinates of all points is being uploaded again in part I.

बिन्दु स० ५	Part I, II, III, IV and V filled in online form is not provided with the hard copu of the proposal.	It will be provided by Nodal Officer s Office of State Govt.
----------------	---	---

अतः प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यावाही करने की कृपा करे ।

संलग्न— यथोपरि

भवदीय


 (एम०बी०सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर


परियोजना का नाम:- एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी-पयां
मोटर मार्ग का दाबू हड़ाप तक विस्तार।

परियोजना का औचित्य


शासनादेश संख्या 2490 / 111(2) / 08-61 (प्रा.आ.) / 2007 दिनांक 25.07.
2008 द्वारा एस०सी०पी० के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग का दाबू
हड़ाप तक विस्तार लम्बाई 10 कि०मी० की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु० 473.11 लाख
के लिए प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा विकास खंड, गरुड़ में हरिनगरी पयां मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि.मी.
के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/06/150/
2005/एफसी./ 2991 दिनांक 20.02.2006 द्वारा विधिवत् स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी.
आई.-1047/7-1-2006/600/ (1151) / 2005 दिनांक 10.03.2006 द्वारा वनभूमि
हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। स्वीकृत नया मोटर मार्ग इस मार्ग का
विस्तार है जो मल्ला पयां नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है एवं सर्वेक्षण उपरान्त दाबू
हड़ाप तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 9.50 कि०मी० आती है।

अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्राम दाबू हड़ाप ग्रामसभा सिमगढ़ी विकास खंड गरुड
के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में जनपद बागेश्वर एवं सीमान्त जनपद चमोली की सीमा में स्थित है और
अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वर्तमान में यातायात के साधन न होने से
स्थानीय जनता को अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को पहाड़ी दुर्गम रास्तों से धोड़े व खच्चरों
के माध्यम से लाना पड़ता है। सीमित कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य
व्यवसाय कृषि, बागवानी एवं पशुपालन है। दूरस्थ क्षेत्र में होने एवं धोड़े खच्चरों के माध्यम से
दुलान व्यव अधिक होने के कारण कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता
और ना ही कोई कर्मचारी इन दूरस्थ क्षेत्र में अपनी सेवायें देने को तैयार होते हैं जिससे यह
क्षेत्र शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा में काफी पीछे है। इस मार्ग का निर्माण हो जाने से
उपरोक्त ग्रामों की 1108 जनता का गरुड़ तहसील एवं बाजार से सीधा सम्पर्क होने के साथ ही
महत्वाकांशी 108 चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए नये
रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे जिससे शहरों की ओर पलायन
रुकेगा। इस मार्ग के निर्माण से होने वाले लाभ का विस्तृत सांख्यकीय विवरण प्रस्ताव में संलग्न
लागत लाभ विवरण में दिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार
कुल 6.06 है० वन भूमि एवं 417 चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मोटर मार्ग निर्माण के
समय यथा सम्भव कम से कम वृक्षों का पातन सुनिश्चित किया जायेगा। यह चीड़ बाहूल्य क्षेत्र
है, मोटर मार्ग निर्माण के उपरान्त आगामी 5 वर्षों के अन्दर प्राकृतिक रूप से चीड़ का घना
जंगल पुनः स्वतः ही बन जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों में कास्तकारों की नाम भूमि के
अलावा समस्त भूमि वन भूमि की श्रेणी में ली गयी है और कास्तकारों के पास सीमित मात्रा में
नाप भूमि होने के कारण जनहित की योजनाओं के लिए वन भूमि उपयोग के अलावा और कोई
विकल्प नहीं है अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर वन भूमि की स्वीकृति औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य है।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
~~बागेश्वर~~


अधिकारी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
~~बागेश्वर~~

प्रधक

श्री राजन कुमार

आपर सचिव

उत्तराचल शासन।

संवाद

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि संवेक्षण निवेशालय
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी
उत्तराचल, दैहादून।

वन मूद्र वर्द्धावरण विभाग

दहरादून : दिनांक १० नावं २००६

ठियाः— जनपद—बागश्वर में हरिनगरी—मध्य मोटा नार्म के लियाप हेतु ४.९० हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

महादय

ज्ञापुरुष विधवक आपव यत्र संख्या—३७३१/१५०—११५५ (बागो) दिनांक ०३-०३-२००६ के अन्दर्ने से न्यूज़े यह कहन दया निवेश हुआ है कि श्री राजनपाल लहरादूद जनपद—बागश्वर में हरिनगरी—मध्य मोटा नार्म के लियाप हेतु ४.९० हेतु वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को इन्हान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार वर्द्धावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या—४८१/यू.सी.पी./०६/१५०, २००५/सफ.सी./२९१ दिनांक २०-०२-२००६ ने दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं—

- वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- लोक निर्माण विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठकदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार दी वन नमदा को क्षति नहीं पहुँचायेगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचाया जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं लोक निर्माण विभाग पर बाध्यकारी होगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा देय होगा।
- उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग के उपयोग में तब तक वनी रहेगी, जब तक कि लोक निर्माण विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि लोक निर्माण विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति सात भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो लोक निर्माण विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को विना किसी प्रतिकर भुगतान के बापस हो जायेगी।
- वन विभाग तथा उसके अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये शूद्रण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- वन भूमि पर खड़े वृक्षों, यादि कोई हो और उनका पातन किया जाना निकल आवश्यक हो तो वह केवल उत्तरांचल वन विभाग निगम द्वारा ही निर्दिष्ट किया जायेगा।
- वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईदून वरी आवश्यकता के लिए उन्होंने को हानि न पहुँचायें, इसके लिए लोक नियाप विभाग ईदून की लकड़ी अथवा अन्य ईकलियक ईदून शान्ति, उत्तरांचल वरापेंगा।
- लोक निर्माण विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा १०.८० हेतु अवलत वन क्षेत्र पर शान्ति-कृतिकामना एवं सन्तका रख—रखाव किया जायेगा।

9. लोक निर्माण विभाग के व्यव पर टक रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित नार्ग के द्वारा थार रिक्त महे स्थल पर उचित वृक्षारोपण किया जायगा।
10. लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद कार्य बोर्ड के सत्रुतया एवं शू-डेलानिक के सुझावों का अडाइ सम्मुखीन दिया जायगा।
11. इयर आरम्भ होने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव डाकलन अधिकृत्ता, 1994 के तहत पर्यावरण मूव वन मन्त्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण सम्बन्धी न्हीकरि प्राप्त की जायगी।
12. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित पार्क और निर्माण एवं तटपरान्त रस्ते-रस्ताव के बोर्ड आल-यास के हंड्र की बनावतियों एवं जीव जन्तुओं की वार्ष नुकसान नहीं पहुँचाया जायगा।
13. प्रयोक्ता एजन्सी से एन०पी०वी० की ईमानि लेविट कर उक्त धनशाशि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (CAMPA) को स्पन्नरिक्ष किया जायगा।
14. प्रस्तावित पर्यावरण के लिए हस्तान्तरीन की मान वाली वन शूमि पर लोक निर्माण विभाग के व्यव पर आर०सी०वी० पिलरों से (फोर बिचरिंग ए टक डिविन लक्ष्य स्थानोंका किया जायगा व प्रभावीए लक्ष्य पर वन शूमि हस्तान्तरण के अंतर्गत न दी जायेगा किया जायगा।
15. लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित बीजानुकार एवं उच्चल मलद का निरतारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जाएगा व उपर व्यव पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्धारण कार्य किया जायगा।
2. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या १-२-७५/दस-७७-१४(४)/७४ दिनांक ३-२-१९७७ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:-जी०आई०:- १०४७ /७-१-२००६-६००११५१) /२००५ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैकटर-एच, पंथम तल, अलीगंज, लखनऊ।
- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
- मुख्य अधिकारी, स्तर-१, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- जिलाधिकारी, बागेश्वर।
- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।
- अधिकारी अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।